रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2005/चैत्र 23, 1927 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 388
No. 52] DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2005/CHAITRA 23, 1927 [N.C.T.D. No. 388

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सं. एफ. सचिवालय 11/75/परि/97/455.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 तथा धारा 2 के खण्ड (41) के साथ पठित धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली की दिनांक 11 जनवरी, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 52(अ)/एफ.सं.आर. टी-11028/9/2001-एमवीएल के खण्ड (ड़) के उपबंधों के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पूर्व प्रकाशन के उपरांत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उप-राज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली 1993 का फिर से संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली 2005 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 97 का संशोधन.**—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 97 के उपनियम (2) में—

(क) खण्ड (ख) हटाया जाएगा,

(ख) खण्ड (ग) हटाया जाएगा,

(ग) खण्ड (च) में शब्द तथा कोष्टक ''सचिव (परिवहन)'' के स्थान पर शब्द तथा कोष्टक ''मुख्य सचिव, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी
के उपराज्यपाल के आदेश से
और उनके नाम पर,
एस. एन. सहाय, आयुक्त एवं सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th April, 2005

No. F. Sec. 11/75/Tpt/97/455.—In exercise of the powers conferred by Section 111 read with Section 212 and clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in pursuance of the provisions of clause (e) of the Government of India, Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi notification S.O. 52(E)/F. No. RT-11028/9/2001-MVL dated the 11th January, 2002 and after previous publication as required under Sub-section (1) of Section 212 of said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 97.**—In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in rule 97, in sub-rule (2) —

(a) clause (b) shall be omitted;

(b) clause (c) shall be omitted;

(c) in clause (f) for the words and brackets "Secretary (Transport)", words "Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi" shall be substituted.

By Order and in the Name of
the Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

S. N. SAHAI, Commissioner-cum- Secy.

गृह पुलिस (I) स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सं. एफ. 13/25/2003-गृह पु.-I/स्थाप./1376.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) नियमावली, 1980 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) (संशोधन), नियमावली, 2005 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 9 का संशोधन.**—दिल्ली पुलिस (नियुक्ति तथा भर्ती) नियमावली, 1980 के नियम 9 के खंड (5) (घ) में उपखंड के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

''(घ) **शैक्षणिक योग्यता**

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 + 2 (सीनियर सैकेंडरी) कक्षा पास।

केवल निम्नलिखित के लिए 11वीं पास तक छूट

(i) बैंडस मैन, बिगुलवादक, घुड़सवार सिपाही, चालक, डिस्पैचराडर इत्यादि

(ii) दिल्ली पुलिस के श्रेणी "घ" कर्मचारियों सहित मृतक/सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियाँ।"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव काले, अतिरिक्त सचिव

HOME POLICE (I) ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 13th April, 2005

No. F. 13/25/2003/HP-I/Estt./1376.—In exercise of the power conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment in rule 9.**—In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980 in rule 9, in clause (v) (d), for sub-clause the following shall be substituted, namely :

"(d) Educational Qualification

10 + 2 (Senior Secondary) pass from a recognised Board.

Relaxable up to 11th pass only for :—

(i) bandsmen, buglers, mounted constable, drivers, dispatch riders, etc.

(ii) sons/daughters of deceased/retired police personnel including category 'D' employees of Delhi Police."

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJIV KALE, Addl. Secy.

गुरूद्वारा चुनाव निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अप्रैल, 2005

सं. एफ. 1(97)/2002/डी.जी.ई./351.—दिल्ली सिख गुरूद्वारा समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974 के नियम 11 के उपबंधों के अनुसरण में मैं, एच.पी.एस. सरां, निदेशक, गुरूद्वारा निर्वाचन दिल्ली, एतद्द्वारा एक सदस्य की मृत्यु के उपरान्त रिक्ती को भरने हेतु सहयोजन के लिये सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 4 के खण्ड "ख" के उपखंड (iv) के अन्तर्गत निम्नलिखित तिथियाँ नियत करता हूँ :—

(क) 21 अप्रैल, 2005 (गुरूवार)	को नामंकन करने की अंतिम तिथि
(ख) 23 अप्रैल, 2005 (शनिवार)	को नामंकन की जाँच पड़ताल करने की अंतिम तिथि
(ग) 25 अप्रैल, 2005 (सोमवार)	को उम्मीदवारों के नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि
(घ) 27 अप्रैल, 2005 (बुधवार)	को सदस्यों के सहयोजन के लिए बैठक की तिथि

एच.पी.एस. सरां, निदेशक

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS

NOTIFICATION

Delhi, the 13th April, 2005

No. F. 1 (97)/2002/DGE/351.—In pursuance of rule 11 of the Delhi Sikh Gurdwaras Management Committee (Co-option of members), Rules 1974, I, H.P.S. Sran, Director, Gurdwara Elections hereby appoint the following dates for the purpose of the co-option of one member under sub-clause (iv) of clause (b) of Section 4 of the Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 to fill up vacancy caused by the death of a co-opted member :—

(a) 21st April, 2005 (Thursday) as the last date for making nominations.

(b) 23rd April, 2005 (Saturday) as the last date for scrutiny of nominations.

(c) 25th April, 2005 (Monday) as the last date for withdrawal of candidatures.

(d) 27th April, 2005 (Wednesday) as the date of meeting for the co-option of member.

H.P.S. SRAN, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.